भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

फैक्स : (079) 23237518,
दूरभाष : (079) 23240451, 23240452
Fax : (079) 23237518
Telephone : (079) 23240451, 23240452
E-mail :gdd.gdc.soi@gov.in

निदेशक का कार्यालय OFFICE OF THE DIRECTOR
गुजरात, दमण एवं दीव भू–स्थानिक ऑकड़ा केन्द्र
GUJARAT, DAMAN & DIU, G.D.C.
सर क्रीक भवन,
Sir Creek Bhavan
सेक्टर–10–ए,
Sector 10-A,
पोस्ट बॉक्स नं0 1, गांधीनगर–382010
Post Box No. 1,Gandhinagar-382010

संख्या : 1589 /37-जी-10

दिनांक 28-08-2018

कार्यालय आदेश सं.63 (प्रशा.) दिनांक 28/08/2018

विषय:- पारदर्शी अधिकारी (ट्रांसपेरेंसी ओफिसर) की नियुक्ति के संबंध में।

संदर्भ:-
1. डी.ओ.संख्या सी.आई.सी/ए.टी/डी/10/000111 दिनांक 15-11-2010
2. डी.ओ.संख्या सी.आई.सी/ए.टी/डी/10/000111/2 दिनांक 9-12-2010

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (8) (ए) के अन्तर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रदत शक्तियों के आधार पर आयोग ने लोक प्राधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के तहत निर्धारित दायित्वों को निर्धारित समय सीमा के अंदर ही पूरा करने के निर्देश दिये है।

इस अधिनियम की धारा 4 में निर्धारित दायित्वों के कार्यान्वयन के लिए आयोग ने पुनः सभी लोक प्राधिकारियों को किसी एक वरिष्ठ अधिकारी को पारदर्शी अधिकारी नामित करने के निर्देश दिये है। पारदर्शी अधिकारी के मुख्य कार्य का सार निम्नानुसार है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के प्रावधानों के प्रभारी एवं सक्रिय क्रियान्वयन द्वारा लोक प्राधिकारी में संस्थानिक पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना। इसमें सम्मिलित है प्रभावी अभिलेख प्रबंधन, अभिलेखों का अंकीयकरण, नेटवर्किंग तथा सक्रिय संवद्वित प्रकटीकरण।

अतः इस कार्यालय के श्री एच.एस.वसावा, अधिकारी सर्वेक्षक को पारदर्शी अधिकारी (ट्रांसपेरेंसी ओफिसर) तत्काल प्रभाव से नामित किया जाता है। पारदर्शी अधिकारी की भूमिका का ब्यौरा व पारदर्शी अधिकारी के कार्य का ब्यौरा संदर्भित पत्र क्रमांक (1) व (2) व परिलक्षित किया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न)

(आशीष कौशल)
निदेशक

प्रतिलिपि :
1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ।(ई-मेल द्वारा)
2. अपर महासर्वेक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर को सूचनार्थ।(ई-मेल द्वारा)
3. प्रभारी, विभागीय वेबसाइट, महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून को वेबसाइट पर upload करने हेतु admin.gov@soi.in (ई-मेल द्वारा)।
4. श्री एच.एस.वसावा, अधिकारी सर्वेक्षक को पालनार्थ।
5. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ।
6. गार्ड फाइल/सूचना पट्ट। फाइल 37-जी-2 (RTI)